माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई–मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्या:– (0755) 2551650, 2761567 फैक्स – (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 359 / डी.एड.सेल / 2013 भोपाल, दिनांक 07 / 05 / 2013

प्रति,

प्राचार्य / संचालक
रामाधार सिंह शिक्षा महाविद्यालय
प्लाट खसरा नम्बर 1471, 1475
ग्राम व पोस्ट नयागांव तहसील भिण्ड
जिला भिण्ड–477331 (म.प्र.)

विषय:– डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2013–14 से मण्डल की नवीन संबद्धता बावत्
—//—

एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक–WRC/5-6/WRCAPP1252/180/MP/2013/100429 दिनांक 01.03.2013 एवं आपकी संस्था द्वारा मण्डल में प्रस्तुत नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्यूकेशन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 50 विद्यार्थियों के इंटेक सहित सत्र 2013–14 से मण्डल की संबद्धता प्रदान की जाती है:–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 276 / 12 (मॉ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में संबंधित परीक्षा निकाय एवं राज्य सरकार को निम्नानुसार बिन्दुओं के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करने संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई है तदानुसार मण्डल द्वारा संबद्धता जारी किये जाने के उपरान्त भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा :– प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की योग्यता एवं तद्संबंधी जारी प्रवेश नियम, परीक्षा संचालन से संबंधित नियम, संबंधित पाठ्यक्रम पूरा किये जाने से संबंधित नियम अथवा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एवं मा.शि.मण्डल द्वारा समय–समय पर जारी पाठ्यक्रम व संबद्धता संबंधी नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मण्डल द्वारा प्रदत्त संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

2. मण्डल की संबद्धता प्राप्त कर लेने के बाद संस्था तब तक मण्डल से संबंद्ध मानी जावेगी जब तक कि उसे एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त है। इस हेतु संस्था को प्रतिवर्ष दिनांक 10 मार्च तक वार्षिक संबद्धता शुल्क रुपये 2500/– (50 छात्रों के मान से) की राशि अथवा समय–समय पर मण्डल द्वारा निर्धारित वार्षिक संबद्धता शुल्क की राशि मण्डल में जमा करनी होगी। वार्षिक संबद्धता शुल्क जमा न करने की स्थिति में संस्था की मण्डल द्वारा प्रदत्त संबद्धता को समाप्त किया जा सकेगा।

3. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।

4. मण्डल द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के बाद यदि किसी भी समय मण्डल के संज्ञान में आता है कि संस्था द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा छल पूर्वक संबद्धता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।